

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या- 2342/2026**

दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं 3 अन्य

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: - विजय कुमार

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16**माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विरोधी पक्षकार की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह राज, जिन्होंने विरोधी पक्षकार संख्या 2-7 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, को सुना। वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. यह प्रार्थनापत्र आपराधिक वाद संख्या 9212 वर्ष 2021 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया है, जो थाना-कुरवार, जिला- सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 388 / 2020 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452, 34, 325 भारतीय दंड संहिता से उद्भूत है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 21, सुल्तानपुर की न्यायालय में लंबित है।
3. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 के अनुपालन में, समझौता विलेख को विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2025 द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसे प्रार्थनापत्र के अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है। इसलिए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त आपराधिक वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है।
4. विरोधी पक्षकार संख्या 2-7 के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त तथ्यों से इनकार नहीं किया है। विरोधी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकार संख्या 2-7 से प्राप्त निर्देशों के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि प्रार्थी के विरुद्ध उक्त मामले की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. यह न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अवगत है:

i. *बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*, (2003) 4 एससीसी 675;

ii. *निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो*, (2008) 9 एससीसी 677;

iii. *मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य*, (2008) 16 एससीसी 1;

iv. *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य*, (2012) 10 एससीसी 303;

v. *नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य*, (2014) 6 एससीसी 466; और

vi. *मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य*, एआईआर 2019 एससी 1296

6. उपरोक्त निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह धारित किया है कि कुछ संज्ञेय और अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा '*सैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य*', 2013 (83) एससीसी 278 के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें ऊपर वर्णित उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों में प्रतिपादित विधि की विस्तार से व्याख्या की गई है।

7. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने '*परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य*', (2017) 9 एससीसी 641 के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही में समझौते के संबंध में प्रस्तर 16 से 16.10 में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैं, जो निम्नवत हैं:

"16. इस विषय पर पूर्वनिर्णयों से उभरने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रतिपादनों में संक्षेपित किया जा सकता है;

16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह प्रावधान नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है। यह मात्र उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में निहित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं;

16.2. अपराधी और पीड़ित के मध्य समझौता होने के आधार पर प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना, अपराध के शमन के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र के आह्वान के समान नहीं है। अपराध का शमन करते समय, न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। धारा 482 के अंतर्गत रद्द करने की शक्ति तब भी लागू होती है, भले ही अपराध अशमनीय हो।

16.3. धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या परिवाद को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर मत निर्मित करते समय उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे;

16.4. जबकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा बहुत व्यापक है, इसका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए;

16.5. अपराधी और पीड़ित के विवाद सुलझा लेने के आधार पर शिकायत या प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई समग्र विवरण तैयार नहीं किया जा सकता;

16.6. धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय और विवाद सुलझ जाने की दलील पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध, सही मायने में, निजी प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में विचारण जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के सर्वोपरि तत्व पर आधारित होता है;

16.7. गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें नागरिक विवाद का अत्यधिक

या प्रधान तत्व हो। रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के संबंध में वे एक भिन्न श्रेणी में वर्गीकृत हैं;

16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी प्रकार के संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले अपराधों से संबंधित आपराधिक मामले, जिनमें अनिवार्य रूप से सिविल लक्षण होते हैं, उचित परिस्थितियों में रद्द किए जा सकते हैं जहाँ पक्षकारों ने विवाद सुलझा लिया है;

16.9. ऐसे मामले में, यदि विवाद करने वालों के बीच समझौते के दृष्टिगत दोषसिद्धि की संभावना कम है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह होगा, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है; और

16.10. ऊपर प्रस्थापना 16.8 और 16.9 में निर्धारित सिद्धांत का एक अपवाद भी है। राज्य के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से संबंधित आर्थिक अपराधों के निहितार्थ एक निजी विवाद के दायरे से परे होते हैं। उच्च न्यायालय का रद्द करने से इनकार करना वहाँ उचित होगा जहाँ अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार जैसी गतिविधियों में संलिप्त है। परिवाद के अंतर्गत कृत्य के वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर पड़ने वाले परिणाम गंभीर होंगे।"

8. इस तथ्य के दृष्टिगत कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है, जो अभिलेख पर है, दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित हैं; विरोधी पक्षकार संख्या 2-7 के अधिवक्ता उपस्थित हैं और उन्हें इस समझौते पर कोई आपत्ति नहीं है, साथ ही मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के दृष्टिगत, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त मामले में आगे कार्यवाही करने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

9. तदनुसार, प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आवेदकगण के संबंध में थाना-कुरवार, जिला-सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 388 / 2020 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452, 34, 325 भारतीय दंड संहिता से उद्धृत एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 21, सुल्तानपुर की न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 9212 वर्ष 2021 की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

18 मार्च, 2026

मोहित सिंह/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।